(4)

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

सं०सं० –परि ०आ०-349/2015 980 राँची, दिनांक- 18/7/17

19/7/17

अधिसूचना

राज्य अंतर्गत प्रखंडों/अनुमंडलों से ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 63, दिनांक–08.01.2016 द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली,2015 के रूप में अधिसूचित किया गया है। सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड द्वारा ग्रामीण मार्गों को चिह्नित करते हुए मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

झारखण्ड राज्य में ग्रामीण बस सेवा के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु वाहनस्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2015 में निम्न निर्णय लिया गया है–

झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2017

1. झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2015 के कंडिका 1 में "नियम (2) (ड०क) : "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा किसी ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल से जोड़ता हो जिसमें साधारण मार्ग का 25 प्रतिशत या 15 कि०मी० मार्गांश दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक सम्मिलित न हो तथा ऐसे मार्गों का निर्धारण मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग क) के अंतर्गत किया गया हो।" को निम्नांकित से अंत:स्थापित किया जाता है–

   "नियम (2) (ड०क) : "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा किसी ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल से जोड़ता हो जिसमें साधारण मार्ग (NH या SH) का 50 प्रतिशत या 30 कि०मी० मार्गांश दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक सम्मिलित न हो तथा ऐसे मार्गों का निर्धारण मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग क) के अंतर्गत किया गया हो।"

2. झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2015 के कंडिका 3 के उप कंडिका 5 में "परमिट के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र P.St.S.A में किया जा सकेगा तथा नियम -74 (समय-समय पर संशोधित) में विहित आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क देय होगा|"को निम्नांकित से अंत:स्थापित किया जाता है–

   "परमिट के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र P.St.S.A में किया जा सकेगा तथा नियम -74 (समय-समय पर संशोधित) में विहित आवेदन शुल्क देय होगा, परन्तु

अनुमान्य परमिट शुल्क के स्थान पर मात्र एक रुपए देय होगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/7/17

(ब्रजेन्द्र हेमरोम)

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि० आ०- 349/2015- 980 राँची, दिनांक – 18/7/17

प्रतिलिपि : उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

18/7/17

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि० आ०- 349/2015- 980 राँची, दिनांक – 18/7/17

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /मुख्य सचिव , झारखण्ड /सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड /सभी प्रधान सचिव / सचिव/ विभागाध्यक्ष, झारखण्ड /सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त/ सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक /संयुक्त परिवहन आयुक्त ,झारखण्ड / सभी उप परिवहन आयुक्त-सह – सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड /परिवहन आयुक्त के सचिव /सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ,झारखण्ड /सभी मोटरयान निरीक्षक,झारखण्ड/ सभी प्रवर्तन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रवर्तन निरीक्षक,झारखण्ड/अवर निरीक्षक, झारखण्ड /सभी यातायात पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड/राज्य सूचना पदाधिकारी,एन.आई.सी., झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

18/7/17

सरकार के उप सचिव

परिवहन विभाग